

कार्यालय ग्राम पंचायत-

तिकारा स्थण्ड

जनपद-

प्रांग

देवापार

सादात

गाँधीजु

दिनांक १३-०८-२०२३

विषय:- जल जीवन मिशन (हर घर जल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की टंकी के निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मालिक

अवगत कराना ह कि दिनांक १३-८-२३ को प्रातः १०:०० बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। ऐसके ए ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, प्राथमिक / जूँहाईस्कूल के प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षामित्र, ऑगनवाडी कार्यकर्ता / शासियका, काटंदार, ए०एन०एम० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पथजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिनाम के ग्रन्थिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पाइप पथजल योजना का क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

अतः अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पथजल योजना का निर्माण कराने हेतु अवश्यक कार्यवाही कराने का काट करें।

संलग्नक: परिवारों द्वारा हरताक्षरित सहमति पत्र।

ग्राम पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
क्रि। राण्डु-सादात, गढ़ीपु

M.P. Singh
Sushma (Director)
Varanasi(U.P.)

भवदीय,

ग्राम प्रधान



ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: १९/०६/२३

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: २०/०७/२३

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:

2. ग्राम का नाम: पृष्ठ १५१२

ग्राम पंचायत का नाम: पृष्ठ १५१२

ब्लॉक का नाम: सालौत

जिला का नाम: गढ़ीगढ़ी

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मवेशी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् घन्टे निर्धारित गुणवत्ता • वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

• पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्राम पंचायत पैदल गाँव संघरक्षण सांगी

समिति को क्या कहा जाता है:

अध्यक्ष का नाम: मुर्ती

लिंग: महिला

आयु:



P. Singh
(Director)

Sushma Foundation
Banasi(U.P)

III. सामान्य विवरण

6.

| | |
|-----------------------------|---------|
| प्रतिवर्षीय वर्ष | वर्तमान |
| वर्तमान वर्ष का अंतिम चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का पहला चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का द्वितीय चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का तीसरा चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का चौथा चरण | साल |

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण
 -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि फसल पैटर्न: _____

| | |
|-----------------------------|---------|
| प्रतिवर्षीय वर्ष | वर्तमान |
| वर्तमान वर्ष का अंतिम चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का पहला चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का द्वितीय चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का तीसरा चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का चौथा चरण | साल |

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): 160 रो 180 लि - ग्री.11. स्थलाकृति (समतल, ढालान, आदि): सभ तल

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
 ('याम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ / नहीं)
 ('याम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

| | |
|-----------------------------|---------|
| प्रतिवर्षीय वर्ष | वर्तमान |
| वर्तमान वर्ष का अंतिम चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का पहला चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का द्वितीय चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का तीसरा चरण | साल |
| वर्तमान वर्ष का चौथा चरण | साल |

2. ग्रामनवाड़ी

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 52.11 के.एल.डी.
मर्वेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 60.1% के.एल.डी.

मर्वेशी कंडों की आवश्यक संख्या:

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 112.14 के.एल.डी.
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 90.0 के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चक्रवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: नहीं

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति: नहीं

18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त नहीं


19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: मलेरिया, 212लाइ, हैला डिटि

पानी की गुणवत्ता

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुद्रय के साथ जल गुणवत्ता की चौंकरी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: _____

21. सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: _____

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत
का नाम (अवस्थिति): _____



कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह समावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे
अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: _____



स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हॉ/नहीं) ✓
 25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्भन कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 45% के.एल.डी.

अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 20

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है: 15

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या: _____

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हॉ/नहीं): हॉ

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: अभी-नहीं

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? _____

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छेर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूरी हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर गिड/क्लोरीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनों सार ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ भारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

वार्षिक प्रचालन व रख-खाल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क: _____


प्रयोक्ता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

- 29.





| प्रस्तावित नीति | विवरण | उपलब्धता विवेदियों को जल संरक्षण के लिए बढ़ावा दें। | प्रस्तावित नीति |
|--|--|--|-----------------|
| एकीकृत वाटरशेड प्रशासन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एस.पी.) | भूग्री संसाधन विभाग | वाटरशेड प्रबन्धमय आर.डब्ल्यू.एस. / काउन्सिल प्रशासन, जल निकायों का नियंत्रण विद्वि आदि। | |
| जल भंडारों की सम्मत, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग | बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार | |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वाई.) | कृषि संहकारिता और किसान कल्याण | वाटरशेड से संबंधित कार्य | |
| प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूहम-सिंचाई का प्रावधान, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए | |
| सांति-प्रति वर्षीय नियन्त्रण लोक प्रशासन और आयोजना प्रणालीकरण | प्रयोगशण, बन और जलवाय विवरण नियन्त्रण मंत्रालय | सांति-प्रति वर्षीय नियन्त्रण लोक पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि। | |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि | |
| समटा नीति | मानव संसाधन विकास मंत्रालय | इनसोल ऐक्यता आपूर्ति का प्रावधान | |
| आकाशी जिला कार्यक्रम | नीति आयोग | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ | |
| जिला अनुदान विकास नियन्त्रण (टी.एस.ए.ए) | राज्य | बड़े बमान वाले जल संरक्षण गतिविधियाँ | |
| एम.पी.एन.ए.डी. | सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना | |
| एम.एल.ए.ए.ए.डी. | राज्य | गंतव्याम अवसंरचना | |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य | अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना | |
| दलदाता/प्राचोरक | | | |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर :

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो) _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष:
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. आरती = ९६१९२९५२६९
2. दौरीनी = ६३९३१०४८७४
3. बाहुरी देवी = ६३९३१०५४८७४
4. जुमाई रीडू = ४७२६००९९१३८
5. वृद्धनी देवी = ८०५-२०३३४७३

प्रम.ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:



M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

